"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 56] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 8 फरवरी 2018 — माघ 19, शक 1939

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 8 फरवरी 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2–254 / दो–गृह / रापुसे / 2006. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों में,–

1. नियम 2 में,–

   (एक) खण्ड (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

   "(ङ) "प्रथम चरण" से अभिप्रेत है शारीरिक नापजोख तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा;"

   (दो) खण्ड (ठ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

   "(ठ) "द्वितीय चरण" से अभिप्रेत है लिखित परीक्षा।"

2. नियम 6 में,–

   (एक) उप–नियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

   "(5) चयन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी, ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करेंगे।"

   (दो) उप–नियम (8) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

   "(8) उप–नियम (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रतियोगी परीक्षा द्वारा चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :–

   (क) शारीरिक माप का मान– अभ्यर्थी की शारीरिक परीक्षा, नियम 8 के उप–नियम (3) में यथा ष्ट न्यूनतम योग्यता के अनुसार किया जायेगा।

टीप— शारीरिक नापजोख के संबंध में किसी विवाद की दशा में, जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

(ख) (1) (एक) ऑनलाईन आवेदन— भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे, जिसके लिए परीक्षा शुल्क, विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

(दो) शारीरिक दक्षता परीक्षा— आवेदकों, जो विहित मानदण्ड को पूरा करते हों, का शारीरिक नापजोख (आंखों की दृष्टि एवं आंखों से संबंधित अन्य जांच को छोड़कर), नियम 8 (3) (क) से नियम 8 (3) (घ) के अनुसार किया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने संबंधी अनुमति पत्र, केवल शारीरिक नापजोख में सफल हुए अभ्यर्थियों को दिया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिये, पुरूष अभ्यर्थियों के लिए 1500 मीटर की दौड़ होगी जिसे 05:40 मिनट में पूर्ण करना होगा एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए 800 मीटर की दौड़ होगी, जिसे 03:20 मिनट में पूर्ण करना होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा, क्वालीफाईंग होगी एवं इसके लिए कोई अंक नहीं दिये जायेंगे तथा इसमें असफल अभ्यर्थियों को इसी स्तर पर अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जायेगा और उन्हें लिखित परीक्षा में सम्मिलित नही किया जायेगा।

(2) लिखित परीक्षा— (एक) हिन्दी एवं अंग्रेजी में दक्षता तथा एप्टीट्यूड टेस्ट—

यह परीक्षा 100 अंकों की होगी जिसमें हिन्दी, अंग्रेजी भाषा हेतु 60 अंक तथा एप्टीट्यूड टेस्ट हेतु 40 अंक होंगे। इसकी अवधि दो घंटे की होगी। यह परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिये अनिवार्य होगी।

(दो) सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन— यह परीक्षा 100 अंकों की होगी तथा इसकी अवधि तीन घंटे की होगी। यह परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिये अनिवार्य होगी।

(तीन) विज्ञान (भौतिकी, गणित एवं रसायन) परीक्षा— यह परीक्षा 100 अंकों की होगी तथा इसकी अवधि दो घंटे की होगी। यह परीक्षा केवल ऐसे अभ्यर्थियों के लिये अनिवार्य होगी, जिन्होंने अनुसूची—तीन में यथा विनिर्दिष्ट उप—निरीक्षक (रेडियो)/(अंगुल चिन्ह)/(प्रश्नाधीन दस्तावेज) के पदों पर भर्ती के लिये आवेदन किये हों।

(चार) कम्प्यूटर विज्ञान की परीक्षा— यह परीक्षा 100 अंकों की होगी तथा इसकी अवधि दो घंटे की होगी। यह परीक्षा केवल ऐसे अभ्यर्थियों के लिये अनिवार्य होगी, जिन्होंने अनुसूची—तीन में यथा विनिर्दिष्ट उप—निरीक्षक (कम्प्यूटर/ साइबर क्राईम) के पद पर भर्ती के लिये आवेदन किये हों।

(ग) पृथक मेरिट सूची— द्वितीय चरण की लिखित परीक्षा में प्राप्त अकों को जोड़कर, सूबेदार, उप—निरीक्षक/उप—निरीक्षक (विशेष शाखा), प्लाटून कमाण्डर, उप—निरीक्षक (रेडियो), उप—निरीक्षक (अंगुल चिन्ह), उप—निरीक्षक (प्रश्नाधीन दस्तावेज) एवं उप—निरीक्षक (कम्प्यूटर/साइबर क्राईम) के लिये, आवेदित पद के अनुरूप तथा 6(6)(एक) एवं (दो) के अनुसार, पृथक मेरिट सूची तैयार की जायेगी।''

3. नियम 10 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

''10. अभ्यर्थियों के बारे में समिति का निर्णय अंतिम होगा.— परीक्षा में प्रवेश हेतु किसी अभ्यर्थी के पात्रता अथवा अन्यथा संबंध में, समिति का निर्णय अंतिम होगा तथा किसी अभ्यर्थी को, जिसे समिति द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।.''

4. नियम 11 में, उप—नियम (2) में, खण्ड (दो) का लोप किया जाये।

5. नियम 13 में, उप—नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

''(1) सीधी भर्ती के लिये अंतिम मेरिट सूची, लिखित परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जायेगी। पुलिस महानिदेशक द्वारा मेरिट सूची के अनुमोदन के उपरान्त, नियुक्तियां, पदों की उपलब्धता के अध्यधीन रहते हुये, मेरिट सूची के अनुसार की जायेगी।''

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, उप—सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 8 फरवरी 2018

क्रमांक एफ 2–254/दो–गृह/रापुसे/2006. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 08–02–2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 8th February 2018

NOTIFICATION

No. F 2-254/Two Home/S.P.S./2006. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Police Executive (Non-Gazetted) Service Recruitment Rules, 2006, namely :-

AMENDMENT

In the said rules, -

1. In rule 2,-

(i) for clause (e), the following shall be substituted, namely :-

"(e) "First Stage" means physical measurement and physical efficiency test;"

(ii) for clause (l), the following shall be substituted, namely :-

"(l) "Second Stage" means written test."

2. In rule 6,-

(i) for sub-rule (5), the following shall be substituted, namely :–

"(5) To participate in the selection process, the candidates shall submit online application form."

(ii) for sub-rule (8), the following shall be substituted, namely :-

"(8) The procedure of selection by competitive examination under clause (a) of sub-rule (1) shall be as follows :-

(a) Measurement of physical standard- The physical test of the candidate shall be conducted accord to the minimum qualification as specified in sub-rule (3) of rule 8.

Note- In case of any dispute with regard to physical measurement, the decision of the Chief Medical Officer of the District shall be final.

(b)(1) (i) Online application- Online application forms for recruitment process shall be invited for which the examination fee shall be determined by the department.

(ii) Physical Efficiency Test- Physical measurement of applicants, who fulfill the prescribed criteria, shall be conducted according to rule 8(3)(a) to rule 8(3)(d) (excluding eye sight and other investigations related to eyes). Permission letter for participation in Physical Efficiency Test shall be given only to the successful candidates in physical measurement. For physical efficiency test, there shall be 1500 meter race for male candidates, which has to be completed in 5:40 minutes and 800 meter race for women candidates, which has to be completed in 3:20 minutes. The physical efficiency test shall be qualifying and no marks shall be given for this and the unsuccessful candidates in this shall be declared as fail at this level and they shall not be included in the written examination.

(2) Written Examination- (i) Proficiency in Hindi and English Language and Aptitude Test–This examination shall be of 100 marks, with 60 marks for Hindi, English language and 40 marks for Aptitude test. Its duration will be two hours. This examination shall be compulsory for all the candidates.

(ii) General Knowledge and General Studies– This examination shall be of 100 marks and its duration will be three hours. This examination shall be compulsory for all the candidates.

(iii) Science (Physics, Mathematics and Chemistry) Examination- This examination shall be of 100 marks and its duration will be two hours. This examination shall be compulsory only for such candidates who have applied for recruitment to the posts of Sub-Inspector (Radio)/(Finger print)/(Questioned Documents) as specified in Schedule-III.

(iv) Computer Science Examination- This examination shall be of 100 marks and its duration will be two hours. This examination shall be compulsory for only such candidates who have applied for recruitment to the post of Sub-Inspector (Computer /Cyber Crime) as specified in Schedule-III

(c) Separate Merit List- By adding the marks obtained in written examination of the second stage, separate merit lists shall be prepared for the posts of Subedar, Sub- Inspector/Sub-Inspector (Special branch), Platoon Commander, Sub-Inspector (Radio), Sub-Inspector (Finger print), Sub-Inspector (Questioned Document) and Sub- Inspector (Computer/Cyber Crime) as per the post applied for and in accordance with 6(6)(i) and (ii)."

3. For rule 10, the following shall be substituted, namely :–
"10. Decision of committee about candidate shall be final.-The decision of the committee regarding eligibility or otherwise of any candidate for admission to the examination shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the committee shall be admitted in the examination."

4. In rule 11, in sub-rule (2), clause (ii) shall be omitted.

5. In rule 13, for sub-rule(1), the following shall be substituted, namely :–
"(1) Final Merit List for direct recruitment shall be prepared on the basis of marks obtained in written examination. After approval of merit list by the Director General of Police, the appointments shall be made as per the merit list subject to the availability of the posts."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D. K. MATHUR, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2018.